21-9-23 वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 C.P.C. वास्ते पत्रावली तलब कर वाद प्रत्याहरण करने बाबत पेश किया। वादी स्वयं उपस्थित। वादी की पहचान वकील वादी द्वारा की गई। वादी ने पहचान-स्वरूप आधार कार्ड सं. 5117 0814 7186 की स्व प्रमाणित प्रति पेश की। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार वादी व प्रतिवादी-गण के मध्य राजीनामा हो गया है। इस कारण उक्त वाद को प्रत्याहरण करने की अनुमति प्रदान करावे।

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया एवं वादी, वकील वादी को सुना। प्रकरण में राजीनामा होने से वादी उक्त वाद को चलाना नहीं चाहता है। अतः वाद प्रत्याहरण की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:17:35 IST
Reason: SelfAttested